

प्रमाणित वनाधिकारी  
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर

मीरजापुर, मीरजापुर  
मीरजापुर, मीरजापुर

क्र.सं०	विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	प्रथम चरण - पौध रोपण हेतु गाढवा खेदान कर विभागाने निर्माण करणा एव पौधा रोपण करणा	100	3100	310000.00
2	द्वितीय चरण - विभागाने मरमल, मूल पौधा को की बदलना, अन्य आकारिक व्यव	100	320	32000.00
3	तृतीय चरण - विभागाने मरमल, मूल पौधा को बदलना, अन्य आकारिक व्यव	100	260	26000.00
4	चतुर्थ चरण - अन्वक्षण	100	260	26000.00
5	पंचम चरण - अन्वक्षण	100	260	26000.00
6	षष्ठम चरण - अन्वक्षण	100	260	26000.00
7	सप्तम चरण - अन्वक्षण	100	260	26000.00
	योग -			472000.00

पत्रांक जी-663/15-1 (अनुसूची दर) दिनांक 01.12.2014 के अनुसार निम्न प्रकार है।

अतः प्रस्तावित रिटेल आवंटने के पूर्व 10-10 मीटर की दूरी पर 100 विभागाने बनाकर पौधरोपण किया जायेगा। जिसका प्राक्कलन भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र अलीगंज, लखनऊ के पत्र सं० 11/97/आर० आ०सी०/95-2011/माग-5/1225 दिनांक 22.01.2013 में उल्लिखित विषय निदेश के अनुपालन में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी उ०प्र० लखनऊ के

से उक्त राजमार्ग पर प्रवेश/निकास मार्ग में 0.1454 हे० संरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी।

राजमार्ग (N.H.-7) न्यू NH-135) के किमी० संख्या 93 में सड़क के किनारे गाम-गामी राजमार्ग का निर्माण किया जायेगा। जिसका प्राक्कलन भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र अलीगंज, लखनऊ के पत्र सं० 11/97/आर० आ०सी०/95-2011/माग-5/1225 दिनांक 22.01.2013 में उल्लिखित विषय निदेश के अनुपालन में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी उ०प्र० लखनऊ के

**क्षतिपूर्क वृक्षरोपण हेतु प्राक्कलन**